न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : डॉ सत्यवीर यादव RAS

प्रकरण संख्या :–

1. रणजीत पुत्र भानाराम
2. मूलाराम पुत्र भानाराम

समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम पाथरेडी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज.

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्यारसीलाल पुत्र हरसहाय (फौत)

1/1 मन्नी देवी पत्नि ग्यारसीलाल

1/2 बनवारीलाल

1/3 बलदेव

1/4 दाताराम

1/5 गिरधारी

1/6 लालाराम

1/7 सुभाष पुत्र ग्यारसीलाल

समस्त जाति कुम्हार निवासी पाथरेडी तहसील कोटपूतली

1/8 गुल्ली देवी पुत्री ग्यारसीलाल पत्नि गोपीराम

1/9 कमली देवी पुत्री ग्यारसीलाल पत्नि श्यामलाल

समस्त जाति कुम्हार निवासी पाथरेडी तहसील कोटपूतली हाल आबाद ग्राम ज्ञानपुरा तहसील बानसूर जिला अलवर

1/10 पतासी देवी पुत्री ग्यारसीलाल पत्नि गोविन्दराम

1/11 ममता देवी पुत्री ग्यारसीलाल पत्नि सीताराम

समस्त जाति कुम्हार निवासी पाथरेडी तहसील कोटपूतली हाल आबाद जाजेकलां तहसील शाहपुरा।

1/12 लाली देवी पुत्री ग्यारसीलाल पत्नि किशनलाल

1/13 सरोज पुत्री ग्यारसीलाल पत्नि जगदीश

जाति कुम्हार निवासी पाथरेडी तहसील कोटपूतली हाल आबाद ग्राम मानावास

2. महादेव पुत्र हरसहाय
3. मूर्ति पत्नि जंगलीराम
4. भोमाराम पुत्र जंगलीराम
5. पांचूराम पुत्र जंगलीराम
6. शेरसिंह पुत्र जंगलीराम
7. मुनेश पुत्र जंगलीराम
8. कबूल पुत्र जंगलीराम
9. चन्दाराम पुत्र जंगलीराम
10. रामबाई पुत्री जंगलीराम
11. जमूरा पुत्र सेडूराम
12. रामपाल पुत्र भूराराम
13. मूला पुत्र भूराराम

15. लक्खीराम पुत्र मानाराम
16. बंशीराम पुत्र मानाराम

समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम पाथरेडी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज.

तरतीबी रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 589 ग्राम पाथरेडी तहसील कोटपूतली द्वारा तहसीलदार साहब कोटपूतली दिनांक 20 एवं बटवारा दिनांक 22.01.2003 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर(राज0)

निर्णय

दिनांक 6.11.19

नामान्तरण संख्या 589 ग्राम पाथरेडी तहसील कोटपूतली द्वारा तहसीलदार कोटपूतली दिनांक 20.02.2003 एवं बटवारा दिनांक 22.01.2003 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली से अपीलान्टगण व्यथित होकर उक्त नामान्तरण एवं बटवारा के विरूद्ध अपील पेश की है जिसके प्रस्तुत अपील मे संक्षिप्त तथ्य निम्मन प्रकार है।

1. यह है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1875/0.77, 1876/0.88, 1877/0.22, 1878/0.25, 1879/0.37, 1880/0.02, 1881/0.21, 1882/0.20, कुल किता 8 कुल रकबा 2.97 है. वाके मौजा पाथरेडी के खातेदार काश्तकार सेडू ग्यारसा जंगली महादेव पुत्र हरसहाय हिस्सा 4/5 व अपीलान्ट व तरतीबी अपीलान्ट हिस्सा 1/5 थे तथा आराजी हाल खसरा नम्बर 1766/0.44, 1767/0.21, 1768/0.20, 1769/0.20, 1770/0.20, 1866/0.62, 1867/0.66, 1868/0.90, 1869/0.31, 1870/0.19, 1871/0.24, 1872/0.38, 1873/0.07, 1874/0.86, 1884/0.75 कुल किता 15 कुल रकबा 6.23 है. वाके मौजा पाथरेडी तहसील कोटपूतली के खातेदार काश्तकार अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेंटगण थे। अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेंट तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 के पति व 4 लगायत 10 के पिता जंगली थे अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेंट व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 तथा जंगलीराम ने उक्त भूमि आराजी हाल खसरा नम्बर 1875/0.77, 1876/0.88, 1877/0.22, 1878/0.25, 1879/0.37, 1880/0.02, 1881/0.21, 1882/0.20, कुल किता 8 कुल रकबा 2.97 है. वाके मौजा पाथरेडी एवं आराजी हाल खसरा नम्बर 1766/0.44, 1767/0.21, 1768/0.20, 1769/0.20, 1770/0.20, 1866/0.62, 1867/0.66, 1868/0.90, 1869/0.31, 1870/0.19, 1871/0.24, 1872/0.38, 1873/0.07, 1874/0.86, 1884/0.75 कुल किता 15 कुल रकबा 6.23 है. वाके मौजा पाथरेडी तहसील कोटपूतली की भूमि मे 1.60 है. भूमि का विनियम कर लिया यानि आराजी हाल खसरा नम्बर 1875/0.77, 1876/0.88, 1877/0.22, 1878/0.25, 1879/0.37, 1880/0.02, 1881/0.21, 1882/0.20, कुल किता 8 कुल रकबा 2.97 है. वाके मौजा पाथरेडी तहसील कोटपूतली मे रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 एवं जंगलीराम ने 1.60 है. भूमि अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेंट को दे दिया तथा अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेंट ने आराजी हाल खसरा नम्बर 1766/0.44, 1767/0.21, 1768/0.20, 1769/0.20, 1770/0.20, 1866/0.62, 1867/0.68, 1868/0.90, 1869/0.31, 1870/0.19, 1871/0.24, 1872/0.38, 1873/0.07, 1874/0.86, 1884/0.75 कुल किता 15 कुल रकबा 6.23 है. वाके मौजा पाथरेडी तहसील कोटपूतली की भूमि मे से 1.60 है. भूमि का रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 एवं जंगलीराम को दे दिया इस प्रकार आराजी हाल खसरा नम्बर 1875/0.77, 1876/0.88, 1877/0.22, 1878/0.25, 1879/0.37, 1880/0.02,

खसरा नम्बर 1766/0.44, 1767/0.21, 1768/0.20, 1769/0.20, 1770/0.20, 1866/0.62, 1867/0.66, 1868/0.90, 1869/0.31, 1870/0.19, 1871/0.24, 1872/0.38, 1873/0.07, 1874/0.86, 1884/0.75 कुल किता 15 कुल रकबा 6.23 है. वाके मौजा पाथरेडी तहसील कोटपूतली मे अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेंटगण 4.63 है. भूमि के खातेदार काश्तकार काबिज हुए एवं रेस्पोडेंटगण संख्या 1 व 2 एवं जंगलीराम आराजी हाल खसरा नम्बर 1766/0.44, 1767/0.21, 1768/0.20, 1769/0.20, 1770/0.20, 1866/0.62, 1867/0.66, 1868/0.90, 1869/0.31, 1870/0.19, 1871/0.24, 1872/0.38, 1873/0.07, 1874/0.86, 1884/0.75 कुल किता 15 कुल रकबा 6.23 है. वाके मौजा पाथरेडी तहसील कोटपूतली को 1.60 है. भूमि व खसरा नम्बर 1875/0.77, 1876/0.88, 1877/0.22, 1878/0.25, 1879/0.37, 1880/0.02, 1881/0.21, 1882/0.20 कुल किता 8 रकबा 2.97 है. वाके मौजा पाथरेडी मे 0.18 है. भूमि के खातेदार काश्तकार हुए एवं इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 व रेस्पोडेंट संख्या 3 के पति व 4 लगायत 10 के पिता जंगलीराम एवं रेस्पोडेंट संख्या 11 लगायत 15 ने बिना किसी अधिकार एवं राजस्व कर्मचारियों व तत्कालीन तहसीलदार से मिलकर उक्त भूमि का बटवारा का अंकन कर बिना किसी बटवारे 22.01.2003 के जरिये नामान्तरण संख्या 589 ग्राम पाथरेडी के द्वारा अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेंट की भूमि मे से खसरा नम्बर 1877/0.86, 1881/0.20, 1882/0.20, मे से 0.05 है. भूमि छोडकर सम्पूर्ण भूमि अपने नाम दर्ज करा ली। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा उपरोक्त नामान्तरण मे किसी प्रकार का बटवारा हुए बिना तहसीलदार के आदेश भू.अ./298/22.01.2003 के अनुसार दर्शित करते हुए उक्त नामान्तरण दर्ज कर लिया है जबकि अपीलान्ट द्वारा कभी भी उक्त आराजी का कोई बटवारा तहसीलदार एवं किसी सक्षम न्यायालय मे आज दिनांक तक नही किया उक्त नामान्तरण की जानकारी 15 दिन पूर्व प्रार्थी के गांव मे ओलावृष्टि होने पर फसल को नुकसान बाबत पटवारी हल्का मौके का अवलोकन करने एवं नामान्तरण की नकल लेने पर हुई। जो बिना देरी किये दफा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र सलग्न कर अपील पेश की है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर नामान्तरण संख्या 589 ग्राम पाथरेडी तहसील कोटपूतली द्वारा तहसीलदार कोटपूतली 22.02.2003 एवं बटवारा दिनांक 22.01.2003 तस्दीक द्वारा तहसीलदार कोटपूतली खारिज करने के आदेश प्रदान करे।

2. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता कराई गई रिपोर्ट समात पाई जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट की तलवी हेतु जरिये सम्मन नोटिस जारी कर रेस्पोडेंट की तलवी कराई गई। रेस्पोडेंट की ओर से श्री प्रेम प्रकाश शर्मा एड0 उपस्थित आये।
3. वकील अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र 06 आर 17 बाबत अपील मे संशोधन किये जाने का पेश 08.02.16 को किया गया जो दिनांक 29.02.16 को स्वीकार किया गया।
4. रेस्पोडेंट की ओर से जरिये वकील जबाव पेश किया जिसमे वर्णित किया है कि अपीलान्ट ने अपील मे जो सामलाती भूमि के खसरा नम्बर दर्ज कर रखे है वो अधूरे है इनके अलावा सामलाती भूमि खसरा नम्बर 1896/0.41, 1897/0.37, 1903/0.37, 1904/0.30 एवं 1891/0.17, 1894/0.42, 1895/0.43 भी है जो सहमति से हुए बटवारे मे अपीलान्ट के हिस्से मे आये है जिस पर बटवारे के रोज से ही काबिज काश्त है। आज भी उक्त भूमि पर अपीलान्ट व रेस्पोडेंट की सामलाती भूमि पर अपीलान्ट काबिज काश्त कर रहे है। खसरा नम्बर 1881/0.21 महादेव ने दी है

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

ग्यारसीलाल व जंगली ने नही दी। इसके अलावा खसरा नम्बर 1760 / 0.58 ऐयर भूमि अपीलान्ट को बदले मे दी है और उसके बदले खसरा नम्बर 1767, 1768, 1769, 1770 ली है। इन सभी तथ्यो को अपीलान्ट ने छुपाया है। वास्तविक तथ्य यह है कि अपीलान्ट का पिता भानाराम व रेस्पोडेंट ग्यारसीलाल, महादेव, जंगलीराम व सेडूराम पुत्रान हरसहाय कुम्हार सगे पांच भाई थे जिसमे अपीलान्ट के पिता भानाराम व रेस्पोडेंट ग्यारसीलाल व जंगलीराम की मृत्यु हो चुकी है। उक्त सभी ने अपनी आराजी को भाई बटवारे के अनुसार बराबर –बराबर करने करने के लिए आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा. रा. अ. कृषि भूमि का सह खातेदारो के बीच आपसी सहमति से विभाजन करने के लिए तहसीलदार के समक्ष पेश किया जिस पर दिनांक 22.01.2003 को तहसीलदार ने अपीलान्ट व रेस्पोडेंट के सभी खातेदारो की मौजूदगी व सहमति से मौके पर हिस्से मे आये खसरा नम्बरान की कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तैयार कराकर आपसी सहमति से किये गये बटवारे के अनुसार मौके पर काबिज कराया जाकर आपसी सहमति से बटवारा किया गया है। आपसी सहमति से हुआ बटवारा एक राजीनाम बटवारा है। राजीनाम बटवारे को चैलेज नही किया जा सकता है। बटवारे के ग्यारह वर्ष बाद अपीलान्ट मे बेईमानी आ गई और झूठे तथ्यो पर अपील पेश की है। अपीलान्ट ने यहां तक की न्यायालय श्रीमान मे बटवारा होने से भी इंकान किया है जबकि इनके स्वयं की मौजूदगी व सहमति से इनके स्वयं के हस्ताक्षरों से बटवारा हुआ है। इस प्रकार के झूठे तथ्यों पर आधारित अपील चलने योग्य नही है। अपीलान्ट ने अपील पेश करने के 15 दिन पूर्व ओलावृष्टि होने के कारण पटवारी मौके पर जाने से जानकारी होना बताया है जबकि जानकारी की कोई तारीख माह नही बताया है जबकि 11 वर्ष पूर्व हुए बटवारे के अनुसार कई बार जमाबंदी राजस्व रिकार्ड की बन चुकी है। कई बार पटवारी मौके पर विभिन्न कार्यो के लिए जाकर आता रहा है। बटवारे के अनुसार अपीलान्ट व रेस्पोडेंट अपने हिस्से मे आई भूमि मे अपने अपने मकानात कुऐ वगैरह बनाकर काबिज हो गय। अपनी आवश्यकतानुसार अपनी भूमि मे से कुछ भूमि अन्य लोगो को बेचान कर दिया, दान कर दिया एवं आपस मे तबादला विनियम कर लिया जिसमे अपीलान्ट भी शामिल है। तब तक भी जानकारी नही होने की बात सरासर गलत है। बटवारे के बाद जिन लोगो को विक्रय पत्र, दान पत्र व विनिमय से भूमि दी गई है व बेचान की गई है उसको भी पक्षकार नही बनाया है। बटवारा के बाद कई हिस्सेदार / पक्षकार ने अपने–अपने हिस्से मे आई भूमि पर ऋण ले रखा है व के.सी.सी कार्ड बना रखा है इसके अलावा अपीलान्ट ने न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली मे दावा घोषणात्मक स्थायी निषेधाज्ञा पेश कर रखा है जिसको भी छुपाया है। यह अपील अपीलान्ट ने झूठे तथ्य पेश कर मियाद बाहर अपील पेश की है। तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोडेंट की आपसी सहमति से दिनांक 22.01.2003 को बटवारा किया गया है बटवारा एक राजीनामा है और उसी के अनुसार नामान्तरण संख्या 589 ग्राम पाथरेडी दर्ज हुआ है जिसका राजस्व रिकार्ड मे अमल हुआ है। उसके बावजूद भी 11 वर्ष बाद अपीलान्ट द्वारा कोई बटवारा नही होना बताया जाकर उक्त अपील पेश की है। बेईमानी की नियत से स्वयं के द्वारा किये सहमति बटवारे से इंकार कर रहा है जबकि अपीलान्ट व रेस्पोडेंट ने अपनी सहमति व राजीनाम से बटवारा करने का अधिकार अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार को प्राप्त है। सहमति राजीनामा से हुए बटवारे की कोई अपील पेश नही की जा सकती है ना ही राजीनामा सहमति से हुए बटवारे की अपील न्यायालय श्रीमान मे चल सकती है। अतः

5. बहस सुनी गई वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अपील मे वर्णित भूमि अनुसार खातेदार काश्तकार हुए एवं इसी अनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 व रेस्पोडेंट संख्या 3 के पति व 4 लगायत 10 के पिता जंगलीराम व रेस्पोडेंट संख्या 11 लगायत 15 ने बिना किसी अधिकार के बिना किसी बटवारे के जरिये नामान्तरण संख्या 589 ग्राम पाथरेडी के द्वारा अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेंट की भूमि मे से खसरा नम्बर 1877 / 0.86, 1881 / 0.20, 1882 / 0.20 मे से 0.05 है. भूमि छोडकर सम्पूर्ण भूमि अपने नाम दर्ज करा ली जिसकी जानकारी अपीलान्ट को 15 दिन पूर्व औलावृष्टि से ग्राम मे पटवारी हल्का द्वारा मौके पर हुई। उक्त नामान्तरण मे आदेश भू.अ. / 298 / 22.01.2003 के अनुसार दर्शित करते हुए उक्त नामान्तरण दर्ज किया गया है जबकि अपीलान्ट द्वारा कभी भी उक्त आराजी का कोई बटवारा तहसीलदार कोटपूतली एवं किसी सक्षम न्यायालय मे आज दिन तक नही किया है। उक्त नामान्तरण महज अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेंट की भूमि हडप करने की नियत से तत्कालीन तहसीलदार व पटवारीगण व रेस्पोडेंट से साज कर उक्त नामान्तरण के आधार पर सम्पूर्ण भूमि बिना किसी बटवारे व बिना अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेंट को सूचना दिये व सहमति के भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करा ली। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को नामान्तरण की नकल लेने से प्राप्त हुई। वकील अपीलान्ट ने बहस मे यह कथन किया है कि ग्राम पाथरेडी के भूमि खसरा नम्बर 1766 लगा. 1770, 1866 लगा. 1874, 1884 सम्वत 2054–2057 मे भाना पुत्र हरसहाय कोम कुम्हार सा. देह के नाम भूमि दर्ज रिकार्ड थी जबकि उक्त भूमि मे रेस्पोडेंट सह खातेदार नहीं थे बिना सहखातेदारी भूमि का बटवारा किसी भी सूरत मे नही हो सकता है। उक्त बटवारा बाबत तहसीलदार से बटवारा की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करने पर उक्त बटवारा कार्यालय मे नही पाया गया जिसकी सूचना प्रार्थी को सूचित करने बाबत दिनांक 01.11.13 को आदेश दिये गय। इससे स्पष्ट जाहिर है कि बिना बटवारा किये तत्कालीन तहसीलदार, पटवारी हल्का व रेस्पोडेंट मिलकर आदेश भू.अ. / 298 / 22.01.2003 के अनुसार दर्शित करते हुए उक्त नामान्तरण 589 वाकेग्राम पाथरेडी दर्शित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जावे तथा नामान्तरण संख्या 589 दिनांक 20.02.2003 एवं बटवारा दिनांक 22.01.2003 तस्दीक द्वारा तहसीलदार कोटपूतली को खारिज करने के आदेश फरमावे।

6. वकील रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस मे जबाव अपील के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ने अपील मे जो सामलाती भूमि के खसरा नम्बर दर्ज कर रखे है वह अधूरे है। इस सभी तथ्यों को अपीलान्ट ने छुपाया है वास्तविक तथ्य यह है कि अपीलान्ट का पिता भानाराम व रेस्पोडेंट ग्यारसीलाल, महादेव, जंगलीराम व सेडूराम पुत्रान हरसहाय जाति कुम्हार सगे पांच भाई थे जिसमे अपीलान्ट के पिता भानाराम व रेस्पोडेंट ग्यारसीलाल व जंगलीराम की मृत्यु हो चुकी है उक्त सभी ने अपनी आराजी को भाई बटवारे के अनुसार बराबर–बराबर करने के लिए आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा. रा. अ. कृषि भूमि विभाजन करने के लिए तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष पेश किया जिसपर तहसीलदार ने 22.01.03 को अपीलान्ट व रेस्पोडेंट सभी खातेदारान की मौजूदगी एवं सहमति से मौके पर हिस्से मे आये खसरा नम्बरान की कुर्रेजात मय नक्शा तैयार कराकर आपसी सहमति से किये गये बटवारे के अनुसार मौके पर काबिज कराया जाकर सहमति से बटवारा किया है आपसी सहमति से किया गया बटवारा एक ... बटवारे को चैलेंज नही किया जा

जबकि अपीलान्ट इनके स्वयं की मौजूदगी मे इनके हस्ताक्षरों से बटवारा हुआ है। इसके अलावा वकील अपीलान्ट ने अपील पेश करने के 15 दिवस पूर्व जानकारी ओलावृष्टि होने से मौके पर पटवारी हल्का जाने पर होना बताया है जबकि जानकारी मे कोई तारीख महिना नही बताया है। जबकि 11 वर्ष पूर्व हुऐ बटवारे अनुसार कई बार जमाबंदी राजस्व रिकार्ड की बन चुकी है। पटवारी भी मौके पर आता जाता रहा है। बटवारे अनुसार अपीलान्ट व रेस्पोडेंट अपने हिस्से मे आई भूमि मे अपने–अपने मकानात, कुऐ वगैरह बनाकर काबिज हो गये। कुछ भूमि अन्य लोगो को बेचान कर दी एवं दान कर दी एवं आपस मे तबादला विनियम करा लिया जिसमे अपीलान्ट भी शामिल है इस बात की जानकारी नही होना गलत है। बटवारे के बाद जिन लोगो ने विक्रय पत्र , दान पत्र व विनियम से भूमि दी गई है व बेचान की गई है उनको भी पक्षकार नही बनाया है। बटवारे के बाद कई हिस्सेदार पक्षकार अपने–अपने हिस्से मे आई भूमि पर ऋण ले रखा है व के.सी.सी कार्ड बना रखा है। इसके अलावा अपीलान्ट ने न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली के यहां दावा घोषणात्मक स्थायी निषेधाज्ञा पेश कर रखा है जिसको भी अपीलान्ट ने छुपाया है। इस प्रकार गलत तथ्य पेशकर मियाद बाहर अपील पेश की है। तहसीलदार ने अपीलान्ट व रेस्पोडेंट की आपसी सहमति से 22.01.2003 को बटवारा स्वीकार किया है उसी के अनुसार नामान्तरण संख्या 589 ग्राम पाथरेडी दर्ज हुआ है। उसके बावजूद भी 11 वर्ष बाद अपीलान्ट द्वारा बटवारा नही होना बताया है। अपीलान्ट बेईमानी की नियत से स्वयं द्वारा किये गये सहमति बटवारे से इंकार कर रहा है। सहमति एवं राजीनामे से हुए बटवारे की अपील पेश नही की जा सकती ना ही उक्त अपील श्रीमान के न्यायालय मे चल सकती है। अतः अपील खारिज फरमावे। रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त RRD 1983 पेज 811 पेश किया है।

7. वकील उभयपक्षो की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात साक्ष्य एवं सबूतो का अवलोकन किया तथा वकील उभयपक्षो द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन करने पर पाया कि उक्त नामान्तरण संख्या 589 वाकेग्राम पाथरेडी तहसील कोटपूतली का पटवारी हल्का पाथरेडी ने तहसीलदार कोटपूतली के आदेश भू.अ./298/22.01.03 के बटवारा आदेश अनुसार भरा गया है जिसको तहसीलदार कोटपूतली द्वारा दिनांक 20.02.2003 को स्वीकार होना पाया गया। वकील अपीलान्ट अपनी बहस मे जाहिर किया है कि उक्त विवादित भूमि का कभी बटवारा नही हुआ बटवारे बाबत तहसीसल कार्यालय से नकल चाही जाने पर उक्त बटवारा उपलब्ध नही होना बताया जबकि अपील मे वर्णित विवादित खसरा नम्बरान बाबत भूमि का आपसी सहमति से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा.रा.अ. पेश कर बटवारा किया है जिसपर सहखातेदारो का हस्ताक्षर अंगूठा निशानी है। पटवारी हल्का एवं भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट होने के उपरान्त तहसीलदार अपने पत्रांक भू.अ./298/22.01.2003 के द्वारा स्वीकार शुदा नामान्तरण को पटवारी हल्का के पास नामान्तरण दर्ज करने के आदेश प्रदान करने पर पटवारी हल्का उक्त आदेशों की पालना मे नामान्तरण संख्या 589 ग्राम पाथरेडी भरा है। इसके अलावा वकील अपीलान्ट ने यह भी कथन किया है कि ग्राम पाथरेडी की भूमि खसरा नम्बर 1766 लगा. 1770, 1866 लगा.1874, 1884 सम्वत 2054–57 मे सम्वत 2054–57 मे भाना पुत्र हरसहाय के नाम भूमि रिकार्ड दर्ज थी इस भूमि मे रेस्पोडेंट सहखातेदारी नही थे बिना सह खातेदारी भूमि का बटवारा कभी नही हो सकता इसलिए आपीलान्ट द्वारा कभी उक्त भूमि का बटवारा नही कराया है। इसकी जानकारी अपील पेश करने से 15 दिन पूर्व ओलावृष्टि होने पर पटवारी हल्का मौके पर जाने पर हुई है जबकि वकील रेस्पोडेंट का कथन है कि अपीलान्ट का पिता भानाराम

सगे पांच भाई थे जिसमे अपीलान्ट के पिता भानाराम व रेस्पोडेंट ग्यारसीलाल व जंगलीराम की मृत्यु हो चुकी है। अतः सभी ने अपनी आराजी को भाई बटवारे के अनुसार प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष पेश करने पर तहसीलदार ने 22.01.2003 को अपीलान्ट एवं सभी खातेदारान की मौजूगदी मे मौके पर हिस्से मे आये खसरा नम्बरान कुर्रेजात एवं नक्शा तैयार कराकर अपनी सहमति से किये गये बटवारे अनुसार काबिज कराकर बटवारा कराया है। वकील रेस्पोडेंट ने जाहिर किया है कि सहमति से किया गया बटवारा एक राजीनामा बटवारा है। राजीनामा से किया गया बटवारे को चैलेंज नही किया जा सकता है। उक्त बटवारे को हुए लगभग 11 वर्ष हो चुके है। अपीलान्ट के मन मे बेईमानी पैदा होने पर उक्त बटवारे एवं नामान्तरण को चैलेंज किया है जबकि इसकी जानकारी बटवारे के बाद से थी बकील अपीलान्ट ने अपील पेश करने से 15 दिन पूर्व इसकी जानकारी पटवारी हल्का मौके पर जाने पर अपीलान्ट द्वारा जानकारी होना बताया है यह तथ्य सरासर झूंठा है। जबकि बटवारा होने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी कई बार बन चुकी है। बटवारा अनुसार रेस्पोडेंट अपने हिस्से मे अपने–अपने मकानात, कुऐ वगैरह बनाकर काबिज है कुछ भूमि को बेचान कर दी तथा आपस मे तबादला विनियम करा लिया जिसमे अपीलान्ट भी शामिल है। बटवारे बाद जिन लोगो को विक्रय पत्र, दान पत्र व विनियम से भूमि दी गई है उनको पक्षकार भी नही बनाया है। बटवारे के बाद कई हिस्सेदारो ने अपने–अपने हिस्से मे आई भूमि पर ऋण ले रखा है व के.सी.सी कार्ड बना रखा है। इसके अलावा सहायक कलक्टर कोटपूतली के यहां नियमित वाद पेश कर रखा है जो अपीलान्ट ने उक्त तथ्य को छुपाकर है जो मियाद बाहर अपील पेश की है। तहसीलदार ने अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट की आपसी सहमति से 22.01.2003 को बटवारा स्वीकार किया है। उसकी पालना मे उक्त नामान्तरण संख्या 589 ग्राम पाथरेडी पटवारी हल्का द्वारा भरा जाकर स्वीकार हुआ है। वकील रेस्पोडेंट द्वारा अपने समर्थन मे आर.आर.डी 1983 पेज संख्या 811 सांवलराम बनाम रामगोपाल न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है। चूकि उक्त नामान्तरण 589 वाकेग्राम पाथरेडी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेंट ने सहमति से बटवारा बाबत प्रार्थना पत्र धारा 53 रा.रा.अ. का तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष पेश किया है। पटवारी हल्का व गिरदावर की रिपोर्ट होने के उपरान्त दिनांक 22.01.2003 को स्वीकार किया है। जिसकी पालना मे आदेश कमांक भू.अ./298/22.01.2003 के आदेशानुसार उक्त नामान्तरण 589 पटवारी हल्का द्वारा भरा गया है जिसको तहसीलदार कोटपूतली ने स्वीकार किया है। बटवारा होने के उपरान्त अपने–अपने हिस्से मे आई भूमि पर मकानात, कुऐ वगैरह बनाये होगे तथा भूमि सुधार के लिए काफी धन खर्च किया होगा। अपने–अपने हिस्से की भूमि पर के.सी.सी कार्ड से ऋण लिया होगा। वकील रेस्पोडेंट द्वारा अपनी बहस मे जाहिर किया है कि आपसी बटवारा आई भूमि का विनियम भी कराया है जिसमे अपीलान्ट भी शामिल है। अपीलान्ट के वकील ने उक्त नामान्तरण व बटवारा की जानकारी अपील पेश करने से 15 दिन पूर्व ओलावृष्टि होने पर पटवारी हल्का मौके पर जाने से हुई यह कहना उचित नही है क्योंकि बटवारा पत्र मे खातेदारो के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी है। इसलिए उक्त बटवारा एवं नामान्तरण की जानकारी होते हुए भी 11 वर्ष पश्चात बटवारानामा व नामान्तरण को निरस्त करने बाबत जो अपील पेश की है वह मियाद बाहर पेश की है तथा अपील मे कहीं भी अंकन नही किया है कि न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली के यहां नियमित वाद बाबत घोषणा का विचाराधीन है। इसलिए उक्त अपील अपीलान्ट ने मियाद बाहर पेश की है तथा उक्त आदेशों के विरुद्ध एक अपील मैंटेबल नही है इस बाबत रेस्पोडेंट

कर कपटपूर्वक एवं तथ्यों से परे पेश की है जो चलने योग्य नही है। इसलिए उक्त अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत नही है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा नामान्तरण संख्या 589 वाकेग्राम पाथरेडी तहसील कोटपूतली स्वीकार द्वारा तहसीलदार कोटपूतली दिनांक 20.02.2003 एवं बटवारानामा दिनांक 22.01.2003 तस्दीक द्वारा तहसीलदार कोटपूतली को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

9. यह निर्णय आज दिनांक ....6.11.19....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)